# क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

**कार्यक्रम का नाम**– बंध्याकरण कैम्प का आयोजन (Female Sterilization Camps)

**बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष**– A.3

**बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या**– A.3.1.2

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :**

परिवार नियोजन कार्यक्रम में वांछित उपलब्धि हेतु जिला अस्पताल/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मात्र Govt. Health Facilities) स्तर पर बंध्याकरण कैम्प के आयोजन हेतु Client Mobilization तथा प्रचार, प्रसार एवं बंध्याकरण के बारे में जागरूकता फैलाने, कैम्प में आए लाभार्थियों की देखभाल के लिए राशि प्रदान की जा रही है

**महत्वपूर्ण नोट**: बन्ध्यारण कैम्प हेतु आवंटित राशि सिर्फ कैम्प के आयोजन हेतु आवंटित है। लाभार्थियों को क्षतिपूर्ति राशि (Compensation) का भुगतान बजट क्रम संख्या A.3.1.4 से ही किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन कैम्प की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश पुस्तिका बनाई है। यह राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाईट (Family Planning Section) पर भी उपलब्ध है जिसका अनुपालन सभी कैम्प में अपेक्षित है।
कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उचित प्रचार प्रसार भी किया जाना है ।

**इकाई राशि (रू० में)**– ₹5000 (पाँच हज़ार रूपये) /प्रति कैम्प (provided minimum 15 cases conducted per camp)

**वित्तीय दिशा निर्देश**–

Client Mobilization **तथा प्रचार, प्रसार एवं बंध्याकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ₹5000/– प्रति कैम्प** (provided minimum 15 cases conducted per camp)

| क्र० सं० | गतिविधि | कुल इकाई राशि (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | Logistics requirement to organize camp, POL/Transport for accepters, contingency, arrangement for comfort of patients, purchase of small items related to FP opreation (ketamin, gloves, sutures etc.) | 3000/- |
| 2 | For transport of surgeon (service provider) | 1000/- |
| 3 | IEC/BCC for the camp, use of PA System, Hand Bills, Advt vide newspapers, cable, TV channels, banners, wall writings etc. | 1000/- |
| | Total | 5000/- |

बंध्याकरण में वांछित उपलब्धि प्राप्त करने हेतु परिवार कार्यक्रम को गति प्रदान करने के साथ Female Sterilization Camps का आयोजन किया जाना है। प्रचार – प्रसार प्रभावशाली करने हेतु उपरोक्त राशि को व्यय किया जा सकता है।

**Reference**: Medical Record and Check list for female Sterilization.(Red Book-Annex.3)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही,/सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का फोन नं० : 9470003017/9431005971

13/7/13